

प्रेषक,

डा० रजनीश दुबे,

प्रमुख सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ०प्र० लखनऊ।

लखनऊ : दिनांक ०९ मार्च, 2019

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4

विषय:- निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों द्वारा संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम०ई०-1/2019/68 दिनांक 09.01.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उ०प्र० निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-4(1) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों द्वारा संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की फीस/शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 की विज्ञप्ति संख्या-182/71-4-2018-37/2015 दिनांक 27.03.2018 द्वारा फीस नियमन के लिए समिति का गठन किया गया है।

3- उ०प्र० निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-10 (1) में शुल्क निर्धारण हेतु निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं:-

10-(1) समिति किसी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगी-

(एक) व्यावसायिक पाठ्यक्रम का स्वरूप

(दो) उपलब्ध अवसंरचना

(तीन) व्यावसायिक संस्था की उन्नति और उसके विकास के लिए आवश्यक समुचित बचत

(चार) प्रशासन एवं अनुरक्षण पर व्यय

(पाँच) संस्था के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों पर व्यय

(छः) कोई अन्य सुसंगत कारक

(2) समिति कोई फीस निर्धारित करने के पूर्व संस्था को सुनवाई का अवसर देगी परन्तु, ऐसी कोई फीस जैसी समिति द्वारा निर्धारित की जाय मुनाफाखोरी या शिक्षा के वाणिज्यीकरण के लिए नहीं होगी।

4- उ०प्र० निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम-2006 की धारा-10(1) के बिन्दु छः में उल्लिखित अन्य सुसंगत

कारकों के अन्तर्गत शुल्क नियमन समिति द्वारा निम्नलिखित आधारों को संज्ञान में लिया गया:-

1. आर्थिक उपयोगी जीवन (Useful Economic Life) को ध्यान में रखते हुए कम्पनी अधिनियम-2013 द्वारा निर्धारित ह्रास की दरें ही मेडिकल कालेज की सम्पत्तियों के संबंध में अनुमन्य की जायेगी।
 2. वर्ष 2016-17 के Audited Balance Sheet आधार पर शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए शुल्क निर्धारण का आंकलन 07 प्रतिशत प्रतिवर्ष Inflation की दर पर किया जाना औचित्यपूर्ण पाया गया। तदनुसार Inflation की दर के आधार पर वर्ष 2018-19 की फीस का निर्धारण किया जाना उचित होगा। यह Inflation की दर केवल Variable Cost (वेतन, भत्ते आदि आवर्ती व्यय) पर ही अनुमन्य कराया गया है।
 3. Fixed Asset पर मात्र SLM (Straight Line Depreciation Method) के आधार पर Depreciation ही अनुमन्य कराया गया है।
 4. जहाँ UG & PG Courses दोनों संचालित हैं एवं उनका लेखा पृथक नहीं है, वहाँ व्यय 70:30 UG:PG का अनुपात रखा गया। जिन कालेजों में Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम भी संचालित हैं एवं लेखा पृथक नहीं है, उनके कुल व्यय का 10 प्रतिशत भाग Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित करते हुए व्यय में से उक्त 10 प्रतिशत की धनराशि को अनुमन्यता से घटा दिया गया है।
 5. समिति द्वारा विचारोपरांत यह विनिश्चय किया गया कि भविष्य में बढ़ती मँहगाई के कारण होने वाले सम्भावित व्यय वृद्धि को विचार में रखते हुए शुल्क ढाँचा का निर्धारण किया जाना उपयुक्त होगा। अतः संस्था के कुल व्यय भार में से आपरेटिंग कास्ट पर वर्तमान में प्रचलित Inflation की दर के आधार पर 07 प्रतिशत के हिसाब से आगामी 02 वर्षों तक का औसत मूल्य निकालकर शुल्क निर्धारण हेतु संज्ञान में लिया गया।
 6. समिति ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमी आफ एजुकेशन बनाम स्टेट आफ कर्नाटक मामले में आब्जर्वेशन के अनुसार निजी संस्थाओं को विकास दर 06 से 15 प्रतिशत के मध्य रखने के आधार पर संस्था के भविष्य में विकास एवं सुधार हेतु 10 प्रतिशत की दर से धनराशि की व्यवस्था शुल्क ढाँचे में करना औचित्यपूर्ण माना गया।
- 5- उक्त अधिनियम-2006 की धारा-10(2) के अन्तर्गत सुनवाई का अवसर दिये जाने के उद्देश्य से फीस नियतन समिति की आयोजित बैठक में संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। बैठक में उपस्थित संबंधित संस्था के प्रतिनिधि के साथ शुल्क निर्धारण के संबंध में विस्तृत विचार विमर्श किया गया।
- 6- अतः अधिनियम-2006 की धारा-10(1) में उल्लिखित प्राविधानों तथा अन्य सुसंगत आधारों/मानदण्डों के आधार पर अल्पसंख्यक संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को छोड़कर निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों में संचालित डेण्टल स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का शुल्क निर्धारित किये जाने की संस्तुति समिति के कार्यवृत्त दिनांक 27.02.2019 एवं दिनांक 28.02.2019 में की गयी।

7- उक्त प्रस्तर-4 में वर्णित मानदण्डों के अतिरिक्त समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित अतिरिक्त मानदण्डों का निर्धारण किया गया:-

1. जिन संस्थाओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का शुल्क निर्धारण गत वर्ष 2017 में किया गया था उन संस्थाओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में गत वर्ष की तुलना में आगामी शुल्क वृद्धि की अधिकतम अनुमन्य सीमा 20 प्रतिशत होगी।
2. जिन संस्थाओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का शुल्क निर्धारण गत वर्ष 2018 में किया गया था उन संस्थाओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में गत वर्ष की तुलना में आगामी शुल्क वृद्धि की अधिकतम अनुमन्य सीमा 12 प्रतिशत होगी।
3. जिन संस्थाओं द्वारा शुल्क निर्धारण हेतु अपना प्रस्ताव महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ को उपलब्ध नहीं कराया गया है अथवा जिन संस्थाओं द्वारा आगामी शैक्षणिक सत्र में गत वर्ष के लिए निर्धारित शुल्क के बराबर ही शुल्क निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया है, उन संस्थाओं में संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का शुल्क गत वर्ष के लिए निर्धारित शुल्क के बराबर ही निर्धारित किया जाय।

8- समिति द्वारा उक्त प्रस्तर-4 व 7 में वर्णित मानदण्डों को आधार मानते हुए शैक्षणिक सत्र 2019-20 व 2020-21 के लिए शुल्क निर्धारित किये जाने की संस्तुति की गयी।

9- संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ हुए विचार-विमर्श एवं उपरोक्त तथ्यों के आलोक में फीस नियमन समिति की बैठक दिनांक 27.02.2019 व दिनांक 28.02.2019 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में उ०प्र० निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-10(1) में उल्लिखित प्राविधानों तथा धारा-10(1)(छः) के आधार पर उक्त प्रस्तर-4 व 7 में वर्णित मानदण्डों को अपनाते हुए निम्नलिखित डेण्टल कालेजों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षणिक सत्र 2019-20 एवं 2020-21 के लिए उनके सम्मुख अंकित शुल्क निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं	संस्था का नाम	अवधि/शैक्षणिक सत्र, जिसके लिए शुल्क निर्धारित की जा रही है।	निर्धारित अधिकतम शुल्क प्रतिछात्र प्रतिवर्ष (रूपयें में)
1	बाबू बनारसी दास कालेज ऑफ डेण्टल साइंसेज, लखनऊ।	2019-20 एवं 2020-21	7,26,900.00
2	चन्द्रा डेण्टल कालेज, बाराबंकी।	2019-20 एवं 2020-2021	5,42,100.00
3	आई०टी०एस० डेण्टल कालेज, ग्रेटर नोएडा।	2019-20 एवं 2020-21	7,63,800.00
4	आई०टी०एस० डेण्टल कालेज, गाजियाबाद।	2019-20 एवं 2020-21	7,57,100.00
5	इन्द्रप्रस्थ डेण्टल कालेज, गाजियाबाद।	2019-20 एवं 2020-21	7,17,700.00
6	कोटीवाल डेण्टल कालेज, मुरादाबाद।	2019-20 एवं 2020-21	6,72,300.00

7	रामा डेण्टल कालेज, कानपुर।	2019-20 एवं 2020-21	8,03,300.00
8	स्कूल ऑफ डेण्टल साइंसेज, शारदा यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा।	2019-20 एवं 2020-21	7,69,400.00
9	बांके बिहारी डेण्टल कालेज, गाजियाबाद।	2019-20 एवं 2020-21	8,59,700.00
10	सुभारती डेण्टल कालेज, मेरठ।	2019-20 एवं 2020-21	4,64,900.00
11	कालका डेण्टल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, मेरठ।	2019-20 एवं 2020-21	5,90,000.00
12	के0डी0 डेंटल कालेज, मथुरा।	2019-20 एवं 2020-21	6,70,400.00
13	● आई0डी0एस0 डेण्टल कालेज, बरेली।	2019-20 एवं 2020-21	8,06,400.00
14	● आई0डी0एस0 डेण्टल कालेज, मोदीनगर, गाजियाबाद।	2019-20 एवं 2020-21	7,67,600.00
15	● डेण्टल कालेज, आजमगढ़।	2019-20 एवं 2020-21	7,07,100.00
16	● सरदार पटेल पी0जी0 इंस्टीट्यूट आफ डेण्टल कालेज एण्ड मेडिकल साइंसेज, लखनऊ।	2019-20 एवं 2020-21	7,90,500.00
17	● सरस्वती डेण्टल कालेज, लखनऊ।	2019-20 एवं 2020-21	6,00,000.00

- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ को शुल्क निर्धारण हेतु अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने अथवा गत शैक्षणिक सत्र में निर्धारित शुल्क ही आगामी शैक्षणिक सत्र में निर्धारित किए जाने के संस्था के अनुरोध के आधार पर।

10- उपरोक्तानुसार निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित हैं। सम्बन्धित कालेज/विश्वविद्यालय उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क से कम शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र है।

11- उपरोक्तानुसार निर्धारित शुल्क की सूचना महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ की अधिकृत वेबसाइट <http://upmededu.in> पर प्रदर्शित की जायेगी तथा संस्थाओं द्वारा भी इस आदेश द्वारा निर्धारित शुल्क की सूची अपनी अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा। शुल्क निर्धारण संबंधी प्रश्नगत आदेश का अनुपालन कड़ाई से कराया जाय।

भवदीय,
(डा० रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-391 (1)/71-4-19-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया, कोटला रोड, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा, विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बॉसमण्डी चौराहा, लखनऊ।
6. संबंधित प्रबंधक/प्रधानाचार्य, संबंधित मेडिकल कालेज द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ। /
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश

संख्या:एमई-3/2019/620

लखनऊ:दिनांक: 18 मार्च, 2019

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संबंधित निजी क्षेत्र के डेन्टल कालेज/विश्वविद्यालय को इस आशय से कि उक्त शासनादेश अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे
2. डा0बी0डी0सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा को इस आशय से कि उक्त शासनादेश विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।

(के0के0गुप्ता)
महानिदेशक।